कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांक : शिविरा–माध्य/छाप्रोप्र/बी/विपूमैछा/आवंटन/2022–23 दिनांक : 25/07/2022

विशेष पूर्व मैट्रिक छात्रवृति योजना में विद्यालय आवंटन में आपत्ति के संबंध में।

विशेष पूर्व मैट्रिक छात्रवृति योजना (विशेष समूह योजना सहित) के अन्तर्गत सत्र 2022–23 के लिए अनुमोदित निजी उच्च प्रतिष्ठित विद्यालयों में प्रवेश हेतु प्रवेश पूर्व परीक्षा के माध्यम से कुल 1500 चयनित विद्यार्थियों को कक्षा 6 में प्रवेश प्रदान करने के लिए उनके द्वारा ऑन–लाईन आवेदन के समय प्रस्तुत 05 विद्यालय विकल्प की वरियता के आधार पर विद्यालय आवंटित किये गये है। कुल 1500 विद्यार्थियो को विद्यालय आवंटन में 1480 विद्यार्थियो को उनके द्वारा चाहे गये प्रथम वरियता/प्राथमिकता के आधार पर विद्यालय आवंटन किये गये है,जबकि उन्नीस विद्यार्थियो को उनके द्वारा प्रस्तुत प्रथम वरीयता/प्राथमिकता के विद्यालय में रिक्त स्थान नही होने कारण द्वितीय वरीयता/प्राथमिकता वाले विद्यालय आंवटित किये गये है, तथा एक विद्यार्थी को उनके द्वारा प्रस्तुत प्रथम एवं द्वितीय वरीयता/प्राथमिकता के विद्यालय में रिक्त स्थान नही होने कारण तृतीय वरीयता/प्राथमिकता वाले विद्यालय आंवटित किया गया है।

उक्त योजना में विद्यालय आवंटन से सम्बन्धित किसी भी प्रकार की आपत्ति होने पर विद्यालय आवंटन के पॉच कार्य दिवस में अन्दर अपनी आपत्ति को निम्न ई–मेल deo.scholar.dse@rajasthan.gon.in पर अथवा रजिस्टर्ड डाक द्वारा निम्न पते पर भिजवाया जा सकता है:–

पता– प्रभारी अधिकारी, छात्रवृति प्रोत्साहन प्रकोष्ठ
निदेशक,माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

(गौरव अग्रवाल)
IAS
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

Rajasthan Education Department
सत्यमेव जयते